रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2008 (कार्तिक 17, 1930)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2008 (KARTIKA 17, 1930)

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।**

**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..... 1327

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ..... 1019

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ..... 15

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1827

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... 7135

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... 513

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ..... 9025

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .... 479

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

# CONTENTS


PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..... 1327

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..... 1019

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..... 15

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..... 1627

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..... 7135

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..... 513

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..... 9025

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..... 479

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..... *

# भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

## [(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर, 2008

संख्या फा. 4(1)/2008—हिन्दी संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकाल की समाप्ति पर, भारत सरकार एतद्द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करती है:—

(1) गठन

इस समिति के निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य होंगे:—

सरकारी सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रवासी भारतीय कार्य और संसदीय कार्य मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | वित्त और संसदीय कार्य राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. | ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य राज्य मंत्री | सदस्य |
| 4. | संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री | सदस्य |

गैर-सरकारी सदस्य

(क) संसद सदस्य

लोक सभा से दो सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 5. | श्री सन्दीप दीक्षित<br>संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 6. | प्रो. रासा सिंह रावत<br>संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |

राज्य सभा से दो सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 7. | प्रो. अल्का बलराम क्षत्रिय,<br>संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |
| 8. | श्री नंदकिशोर सिंह<br>संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |

(ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो संसद सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 9. | श्री सुव्रत बोस<br>संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 10. | रिक्त | सदस्य |

(ग) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था के प्रतिनिधि

| | | |
|---|---|---|
| 11. | प्रो. अनंतराम त्रिपाठी, प्रधानमंत्री<br>राष्ट्रभाषा प्रचार समिति-वर्धा,<br>पोस्ट हिन्दी नगर,<br>वर्धा, महाराष्ट्र-442003 | सदस्य |

(घ) मंत्रालय द्वारा नामांकित सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 12. | श्री हिमांशु जोशी,<br>7/C 2, हिन्दुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट्स,<br>मयूर विहार- फेज-I,<br>नई दिल्ली-110091 | सदस्य |
| 13. | श्री बालस्वरूप राही,<br>एफ 3/10, माडल टाउन,<br>दिल्ली-110009 | सदस्य |
| 14. | श्री अनिरुद्ध जोशी,<br>212 बी.पी., एम.डी.सी., सैक्टर-IV<br>पंचकुला-134114<br>हरियाणा | सदस्य |
| 15. | श्री आर. विजयन थम्पी,<br>दीसीया हिन्दी अकादमी,<br>पेरुंगुजी पोस्ट आफिस, चिरायिकीज,<br>तिरूअनंतपुरम,<br>केरल-695305 | सदस्य |

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

| | | |
|---|---|---|
| 16. | श्री सुरेश तिवारी,<br>सहायक महाप्रबंधक, प्रचालन निदेशालय,<br>स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,<br>(निगमित कार्यालय, सेल)<br>पांचवीं मंजिल, इस्पात भवन, लोधी रोड,<br>नई दिल्ली-110003 | सदस्य |

(च) गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

| | | |
|---|---|---|
| 17. | डा. पद्माषा झा,<br>प्रोफेसर क्वार्टर नं. 01,<br>यूनिवर्सिटी कैम्पस,<br>मुजफ्फरपुर-842001,<br>बिहार। | सदस्य |
| 18. | श्रीमती अनवर जहां खानम,<br>ग्राम एवं पोस्ट-कोठिया, भाया-पिन्डारक<br>थाना-कमतौल, प्रखण्ड-केवटी,<br>जिला-दरभंगा, बिहार। | सदस्य |

19. प्रो. दुलारचंद प्रसाद साह, — सदस्य
ग्राम-करमपा, पोस्ट-बिरौल,
थाना-कलुआही, जिला-मधुबनी,
बिहार।

अन्य सरकारी सदस्य

20. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य

21. सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार — सदस्य

22. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य-सचिव

23. संयुक्त सचिव/निदेशक, राजभाषा विभाग — सदस्य

24. निदेशक (रा.भा.), संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य

25. उप सचिव (वि.), संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य

26. उप सचिव (प्र.), संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य

(2) कार्यक्षेत्र

इस समिति का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा समय समय पर निर्धारित नीति के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय को सलाह देना होगा।

(3) कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि:

(क) कोई भी सदस्य, जो संसद सदस्य है, संसद का सदस्य न रहने पर इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिनके कारण वह समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा।

(4) सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

(5) यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 3 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों (और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों), भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और वेतन तथा लेखा कार्यालय, संसदीय कार्य, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

के. गोपालाकृष्णन
संयुक्त सचिव

---

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर, 2008

संख्या फा. 17/9/2008-सी.डी.-2—भारत सरकार ने आर्गेनिक कपास सलाहकार बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यगण होंगे:—

केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले

1. वस्त्र आयुक्त — अध्यक्ष
भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय, मुंबई-400 020

2. संयुक्त सचिव, — सदस्य
भारत सरकार,
वस्त्र मंत्रालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110 107

3. निदेशक — सदस्य
कपास विकास निदेशालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग),
कृषि मंत्रालय,
14, रामजीभाई कमानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट,
पी.बी. नं. 1002, मुंबई-400038

4. निदेशक, सीआईसीआर, नागपुर — सदस्य
पी.बी. नं.-2 शंकर नगर
पी. ओ. नागपुर-440 010

5. निदेशक, — सदस्य
कपास अनुसंधान के लिए केन्द्रीय संस्थान,
प्रौद्योगिकी (सीआईआरसीओटी),
एडेनवाला रोड, माटुंगा,
मुंबई-400 019

राज्य सरकार

6. आयुक्त/निदेशक — सदस्य
(कृषि के प्रभारी)
महाराष्ट्र सरकार,
शिवाजी नगर,
पुणे-411 005

7. आयुक्त/निदेशक, — सदस्य
(कृषि के प्रभारी),
गुजरात सरकार,
कृषि भवन, पलड़ी,
अहमदाबाद-380006

8. आयुक्त/निदेशक, — सदस्य
(कृषि के प्रभारी)
मध्य प्रदेश सरकार
विंध्याचल भवन,
भोपाल-462 004

9. आयुक्त/निदेशक, सदस्य
(कृषि के प्रभारी),
आंध्र प्रदेश सरकार,
लाल बहादुर स्टेडियम के सामने,
हैदराबाद-500001

10. आयुक्त/निदेशक, सदस्य
(कृषि के प्रभारी),
कर्नाटक सरकार,
नं. 1 शेषाद्री रोड,
बेंगलूर-560001

11. आयुक्त/निदेशक, सदस्य
(कृषि के प्रभारी),
तमिलनाडु सरकार,
चेपक, चेन्नै-600 005

12. आयुक्त/निदेशक, सदस्य
(कृषि के प्रभारी),
उड़ीसा सरकार,
मुख्य विभागीय भवन,
भुवनेश्वर-751 001

13. आयुक्त/निदेशक, सदस्य
(कृषि के प्रभारी),
पश्चिम बंगाल सरकार,
राइटर्स बिल्डिंग,
कोलकाता

14. आयुक्त/निदेशक, सदस्य
(कृषि के प्रभारी),
त्रिपुरा सरकार

15. आयुक्त/निदेशक, सदस्य
(कृषि के प्रभारी),
छत्तीसगढ़ सरकार

प्रमाणन एजेंसियां

16. श्री एस. दवे निदेशक, सदस्य
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद,
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए),
एनसीयूआई बिल्डिंग, तृतीय तल,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास,
श्री औद्योगिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110 016
फैक्स-01-26534870
ई-मेल-headq@apeda.com.

17. राष्ट्रीय आर्गेनिक फार्मिंग संस्थान सदस्य
(एनओएफआई)
फरीदाबाद, हरियाणा

18. श्रीमती प्रभा नागराजन, सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय फार्म विकास कार्यक्रम
आर्गेनिक एक्सचेंज, एफ-138 सातवीं गली,
अन्नानगर पूर्व,
चैन्नई-600 102
दूरभाष-044-26283585/मो.-980398844
ई-मेल-prabha@organicexchange.org
prabhangu@gmail.com

19. डा. विनय कुमार चौधरी, सदस्य
कंट्रोल यूनियन प्रमाणन,
597, प्रथम तल, 50, दूसरा क्रोस
तीसरा ब्लॉक, 10वां मुख्य मार्ग, राजाजी नगर,
बेंगलूरू-560 010
दूरभाष-09969002860

20. इकोसेर्ट सा, फ्रांस सदस्य
भारतीय शाखा कार्यालय,
सेक्टर-3, एस-6/384 गुट नं. 102,
हिंदुस्तान आवास लि.,
वाल्मी-वलुज रोड, नाकेशित्रिवेदी,
औरंगाबाद-431 002
महाराष्ट्र
ई मेल ecocert@unichamet.in India@

कृषि विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान

21. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय सदस्य
कोयम्बटूर,
तमिलनाडु

22. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय सदस्य
कोविल पट्टी,
तमिलनाडु

23. धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय सदस्य
धारवाड़
कर्नाटक

24. महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय सदस्य
उदयपुर, राजस्थान

25. डा. टी.वी. करियावरडाराजू सदस्य
दि सीमा कपास विकास एवं अनुसंधान संघ,
ज्ञानमुखा मनराम,
पोस्ट बॉक्स सं. 3871, रेसकोर्स,
कोयम्बटूर-641 018
दूरभाष 0422-2213079
सेल-9842206198
फैक्स-0422-2216798
ई मेल-sumacdra@bsnl.net.

जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्र

26. श्री राजेश तवर, सदस्य
मैसर्स राज इकोफार्म जिनिंग एवं प्रेसिंग,
गांव-भीलगांव
केसरवाड, खरगौन (जिला)
पिन नं. 451228
मध्य प्रदेश
दूरभाष-0975333451
फैक्स-07285-232154
ई मेल rajeshbtu@rediffmail.com

वस्त्र उद्योग

27. अध्यक्ष सदस्य
फेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज
(सीआईटीआई), 6 मंजिल, नरायण मंजिल,
23, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली 110001
ई-मेल [illegible]

28. भारतीय कपास संघ सदस्य
दूसरी मंजिल, कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग,
कॉटन ग्रीन, मुंबई-400 033

29. श्री पंकज डी. मधानी, सदस्य
महाप्रबंधक (कच्ची सामग्री),
मैसर्स गोगाक टेक्सटाइल्स लि.,
बी-74, कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग,
कॉटन ग्रीन (पूर्व), मुंबई

30. श्री बी. के. पटोदिया, सदस्य
उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
मै. जीटीएन टेक्सटाइल्स लि.
228,नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400 021

31. श्री भरतभाई शाह, सदस्य
मैसर्स अमित स्पिनिंग इंडस्ट्रीज लि.,
लोटस हाउस, 5वीं मंजिल,
न्यू मरीन लाइन्स,
लिबर्टी सिनेमा के आगे,
मुंबई-400 002
दूरभाष-022 66247777

32. श्री जितेन्द्र कुमार, सदस्य
सहायक उपाध्यक्ष (कपास खरीद)
मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लि.,
पेनिनसुला टॉवर,
पेनिनसुला कार्पोरेट पार्क,
जी. के. मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400 013
दूरभाष-022 24996413/200
फैक्स-022 24940140

33. श्री जी. एकिसवरन, मुख्य कृषि प्रभाग/ सदस्य
श्री के. आर. सेथरश्री, मुख्य प्रचालन अधिकारी
(कान्ट्रेक्ट फार्मिंग में अग्रणी इन्डस्ट्री)
मैसर्स सुप्रा स्पिनिंग मिल्स लि.,
ड्राली टावर, पो. बॉ. 7113, ग्रीन फील्ड
737-डी, पुलियाकुलम रोड,
कोयम्बटूर

34. श्री मणि चिन्नास्वामी सदस्य
C/o अप्पाची कॉटन कंपनी
तमिलनाडु
मो. 09345244000

सदस्य सचिव

35. श्री वी.ए. पटेल, सदस्य-सचिव
संयुक्त वस्त्र आयुक्त (कपास),
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
मुंबई-400 020

2. आर्गेनिक कपास बोर्ड भारत में आर्गेनिक कपास के आंकड़ों को संग्रह की व्यवहार्यता और प्रमाणन के लिए नियम बनाने और आर्गेनिक खेती, उपयुक्त उत्पादन क्षेत्रों और किस्मों के प्रमाणन, रेखांकन, पहचान के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने के संबंध में मूल्यांकन करेगी और टीएमसी/आईसीडीपी का लघु मिशन-2 के तहत आर्गेनिक कपास की खेती के लिए अपनाई जाने वाली उत्पादन रीतियों के लिए मानदण्डों की सिफारिश करेगी।

3. कपास सलाहकार बोर्ड आर्गेनिक कपास विकास के समन्वयन और मानिटरिंग भी करेगा।

4. नए पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य 13.10.2010 तक बोर्ड में कार्य करेंगे।

5. गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

6. बोर्ड की बैठक में उपस्थिति केवल सदस्यों तक ही सीमित रहेगी।

7. आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. जे. एन. सिंह
संयुक्त सचिव

---

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 2008

संकल्प

संख्या ई. 11014/5/2005-हिन्दी—भारी उद्योग विभाग के दिनांक 11.4.2005 के समसंख्यक संकल्प का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति की संरचना, कार्य और कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे:—

संरचना

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

1 भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री अध्यक्ष

2 भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री उपाध्यक्ष

2. गैर-सरकारी सदस्य

(क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

1 डा. राधाकांत नायक, संसद सदस्य (राज्य सभा)

2 श्री महेन्द्र मोहन, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

3 श्री हरि सिंह चावड़ा, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

4 श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

(ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

5 डा. रामकृष्ण कुसमरिया, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

6 श्री मोहन सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

(ग) अखिल भारतीय स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों के प्रतिनिधि

7 श्री कैलाश चन्द्र पंत, मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, भोपाल सदस्य

8 श्री सुरेन्द्र कुमार दुबेजा, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद सदस्य

(घ) हिन्दी के विद्वान (मंत्रालय द्वारा नामित)

9 डा. रवीन्द्र राजहंस सदस्य

10 प्रो. डॉ. कुमकुम राय सदस्य

11 प्रो. रामदेव भंडारी सदस्य

12 श्री अवध बिहारी सिंह सदस्य

13 चौधरी यशपाल सिंह सदस्य

(ङ) राजभाषा विभाग द्वारा नामित

14 डॉ रजनी बाला अग्रवाल सदस्य

15 श्री सतीश चन्द्र मिश्रा सदस्य

16 श्री कृष्ण मोहन सिंह सदस्य

3. सरकारी सदस्य

(क) भारी उद्योग विभाग

17 सचिव सदस्य

18 अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सदस्य

19 अपर सचिव सदस्य

20 संयुक्त सचिव सदस्य

21 संयुक्त सचिव सदस्य

(ख) लोक उद्यम विभाग

22 सचिव सदस्य

23 संयुक्त सचिव सदस्य

(ग) राजभाषा विभाग

24 सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार सदस्य

25 संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग) सदस्य

घ. भारी उद्योग विभाग के उपक्रम

26 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. नई दिल्ली सदस्य

27 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि., बैंगलूर सदस्य

28 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि., नई दिल्ली सदस्य

29 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता सदस्य

30 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत भारी उद्योग निगम लि., कोलकाता सदस्य

31 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., रांची सदस्य

32 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सदस्य

4. कार्य

इस समिति का कार्य भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई राजभाषा नीति के प्रावधानों और जारी किए गए निदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देना होगा।

5. समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल सामान्यत: 3 वर्ष का होगा। समिति के कार्यकाल की अवधि में यदि किसी व्यक्ति को इस समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा। विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल भारी उद्योग विभाग द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकेगा।

6. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22.1.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा. भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियम के अनुसार यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निदेशक, लेखा परीक्षा और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

राजीव बंसल
संयुक्त सचिव।

---

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 अक्टूबर 2008

सं. एफ. 9-27/2003-यू.-3 जबकि "जे.पी.सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा (उत्तर प्रदेश) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 1 नवम्बर, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से "नई श्रेणी के अंतर्गत समविश्वविद्यालय घोषित किया गया बशर्ते कि वह कतिपय शर्तें पूरी करता हो जिसमें तीन वर्षों के पश्चात् समीक्षा करना शामिल है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से "जे.पी.सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा के कार्यप्रणाली की समीक्षा की है।

3. और, जबकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 25 फरवरी, 2008 के अपने पत्र संख्या एफ. 6-8/2004 (सी.पी.पी.-1) के माध्यम से "जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा को 'सम विश्वविद्यालय' का स्तर जारी रखने की सिफारिश की है बशर्ते कि उसकी पांच वर्ष के पश्चात् समीक्षा की जाए।

4. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में दिनांक 1 नवम्बर, 2004 को इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना की शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए नई श्रेणी के अंतर्गत उक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ "जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान" नोएडा को समविश्वविद्यालय के रूप में जारी रखने का अनुमोदन प्रदान करती है बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो:—

(i) पांच वर्षों की अवधि के पश्चात् विशेषज्ञ समिति के सहयोग से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रगति और कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी और जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा को प्रदत्त 'समविश्वविद्यालय' का स्तर उक्त विशेषज्ञ समीक्षा समिति की रिपोर्ट तथा उस पर विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग की सिफारिश के आधार पर निहित होगा।

(ii) जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मॉडल संगम ज्ञापन/नियमावली को तर्ज तथा उसके अनुसरण में संगम ज्ञापन नियमावली को तत्काल संशोधित करेगा और अनुमोदित संगम ज्ञापन/नियमावली को विधिवत् रूप से पंजीकृत करवाएगा।

(iii) जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर जय प्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली से स्टाम्प पेपर पर यह आश्वासन प्रस्तुत करेगा कि नोएडा द्वारा शिकमी पट्टे पर दी गई भूमि को स्थाई रूप से जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा के अधिकार में रखने की अनुमति होगी; और

(iv) जे.पी. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर संशोधित मानदंडों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं पर लागू होते हैं।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा शर्तों के आधार पर अनुपालन तभी पूरा किया जाएगा जबकि वे इस अधिसूचना की पृष्ठांकन क्र.सं. 4 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करें।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 15 अक्तूबर, 2008

सं.एफ. 9-55/2004-यू. 3 (ए)—जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि वेल श्री आर. रंगाराजन डा. सगुनतला सागर मर शिक्षा अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए अगस्त, 2004 में उनसे एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस मामले पर प्राप्त सिफारिशों की इस मंत्रालय में 16.10.2007 को जांच की गई थी और वेल टेक रंगाराजन डा. सगुनतला आर.एण्ड डी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव को इस मंत्रालय के दिनांक 23.11.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के जरिए अस्वीकृत कर दिया गया;

4. और जबकि वेल टेक रंगाराजन डा. सगुनतला आर.एण्ड डी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत नए दस्तावेजों से उन कमियों को दूर कर दिया गया है जिनका उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में उल्लेख किया गया है, मामले पर इस मंत्रालय में पुनर्विचार किया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर केन्द्र सरकार एतद् द्वारा वेल टेक रंगाराजन डा. सगुनतला आर.एण्ड डी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु को उक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करती है। यह उस तिथि से प्रभावी होगा जब वेल टेक रंगाराजन डा. सगुनतला आर.एण्ड डी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु नामत: अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु से स्वयं को असंबद्ध कर लेता है।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस शर्त के अधीन है कि वह इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा/अनुसरण करता है।

6. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेल टेक रंगाराजन डा. सगुनतला आर.एण्ड डी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु को कोई योजनागत और योजनेतर सहायता अनुदान प्रदान करेगा।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 16 अक्तूबर, 2008

सं. एफ 9-9/1998-यू. 3—जबकि "एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई" जिसमें एसआरएम डेन्टल कॉलेज भी शामिल है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 2 अगस्त, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से सम-विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इसके बाद, निम्नलिखित घटक इकाइयों को भी उपर्युक्त सम विश्वविद्यालय के दायरे में शामिल किया गया:—

1. एसआरएम इंजीनियरिंग कालेज, कट्टनकुलथूर।

2. एसआरएम चिकित्सा कालेज अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, कट्टनकुलथूर।

3. एसआरएम फार्मेसी कालेज, एसआरएम नगर कालेज, कट्टनकुलथूर।

4. एसआरएम नर्सिंग कालेज, चेन्नई।

5. एसआरएम फिजियोथेरेपी कालेज, रामापुरम चेन्नई;

6. एसआरएम व्यावसायिक थेरेपी कालेज, चेन्नई।

7. एसआरएम प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोदीनगर, उ.प्र.

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऊपर वर्णित घटक इकाइयों को शामिल करते हुए "एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई" की कार्य प्रणाली का इस उद्देश्यार्थ गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से पुनरीक्षण किया है;

3. और जबकि, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 29 जनवरी, 2007 के अपने पत्र क्रमांक संख्या एफ 6-21/2001 (सीपीपी-I) के माध्यम से "एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई" को सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की है, यह पांच वर्ष बाद एक और पुनरीक्षण के विषयाधीन होगा;

4. इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह के आधार पर "एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई" को उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ अगले पांच वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम-विश्वविद्यालय के दर्जा का अनुमोदन करती है कि:—

(i) एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई की प्रगति और कार्यनिष्पादन का पुनरीक्षण पांच वर्षों की अवधि के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की सहायता से किया जाएगा और एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई को प्रदान किए गए सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को उक्त पुनरीक्षण विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

तथा तदुपरांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुष्टि की जाएगी;

(ii) एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के लिए लागू होता है।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा आगे इस अधिसूचना के पृष्ठांकन क्रमांक संख्या 4 में वर्णित शर्तों के विषयाधीन होगी।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

---

दिनांक 21 अक्तूबर, 2008

सं. एफ. 9-3/2007-यू. 3 (ए) जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत किसी उच्चतर अध्ययन शिक्षा संस्था को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है;

2. और जबकि मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा, जनवरी, 2004 और अप्रैल, 2004 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत नई श्रेणी के अंतर्गत 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 18 जुलाई, 2008 के पत्र संख्या 22-2/2007 (सीपीपी-I) के जरिए मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा को इस शर्त के आधार पर 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है कि दर्जा प्रदान करने के पांच वर्ष की अवधि के बाद इसके निष्पादन की समीक्षा की जाएगी;

4. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर तदनुसार यह घोषणा करती है कि मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा जिसमें कैरियर प्रौद्योगिकी और प्रावधान संस्थान शामिल है, अपने संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा से अपना संबंधन समाप्त होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ "सम-विश्वविद्यालय" होगा बशर्ते इन पांच वर्षों में समीक्षा समिति इसकी वार्षिक समीक्षा करेगी;

5. मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा को प्रदान किए गए दर्जे की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा उक्त समीक्षा और आयोग की सिफारिशों के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी;

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस अधिसूचना को पृष्ठांकन क्र.सं. 4 में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने/इनका अनुपालन करने की शर्त के अधीन होगी;

7. न तो भारत सरकार और न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा को कोई योजनागत या योजनेत्तर सहायता-अनुदान प्रदान करेगी।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

दिनांक 23 अक्तूबर, 2008

सं. एफ. 9-3/2006-यू. 3 (ए) जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (यूजीसी) 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन शिक्षा संस्था को "सम-विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित करने का अधिकार है;

2. और जबकि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु, जो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है, से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

3. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त प्रस्ताव की जांच की है तथा अपने पत्र संख्या 40-6/2007 (सीपीपी-I) दिनांक 29 सितम्बर, 2008 के माध्यम से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बदूर को सम-विश्वविद्यालय संस्था घोषित करने की सिफारिश की है;

4. इसलिए, अब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर, यह घोषणा करती है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु, नए सिरे को श्रेणी के तहत, उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षण के विषयाधीन पांच वर्षों की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर एक सम-विश्वविद्यालय संस्था होगा;

5. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को प्रदान किए गए दर्जे की पुष्टि पांच वर्षों के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए वार्षिक पुनरीक्षण एवं तदुपरांत आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी;

6. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान संबंधित प्राधिकारणों की पूर्व अनुमति के बिना दूरस्थ पद्धति के माध्यम से प्रस्तावित अकादमिक पाठ्यक्रमों का आयोजन नहीं करेगा। अपर्युक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम संख्या 3 में वर्णित शर्तों की पूर्ति/अनुपालना के विषयाधीन होगी;

7. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करना जारी रखेगा।

सुनील कुमार
संयुक्त सचिव

---

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर 2008

संकल्प

सं. 10/3/96-रा.म.को./के.स.क.बो.—राष्ट्रीय महिला कोष के नियम-विनियम के नियम (1) के अनुसरण में, भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय महिला कोष के शासी बोर्ड का सदस्य नामित करती है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. डॉ. नागी बी. राव<br>100, आर.आर ट्रावर्स<br>सी.ए.लेन नामपल्ली,<br>हैदराबाद- 500001<br>आंध्र प्रदेश | के स्थान पर | श्री पंकज अग्रवाल<br>बी-3/55,<br>सफदरजंग इन्क्लेव,<br>नई दिल्ली- 110029 |
| 2. श्री राजन सिंह रविराज मारोड़ के स्थान पर<br>बी-3-11 प्लेजेंट पार्क,<br>पुणे,<br>महाराष्ट्र | | डॉ. देविंदर सिंह कुमार<br>जे-79, कालकाजी<br>नई दिल्ली-110019 |

(श्रीमती) किरण चड्ढा
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 27th October 2008

### RESOLUTION

No. F. 4(1)/2008-Hindi— On the conclusion of the tenure of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India hereby reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs as under: -

**(1) Composition**

The following will be the Official and Non-Official Members of the Committee:—

**Official Members**

1. Minister of Overseas Indian Affairs and Parliamentary Affairs — Chairman
2. Minister of State for Finance and Parliamentary Affairs — Vice-Chairman
3. Minister of State for Rural Development and Parliamentary Affairs — Member
4. Minister of State for Parliamentary Affairs and Planning — Member

**Non-Official Members**

(a) Members of Parliament

**Two Members from Lok Sabha**

5. Shri Sandeep Dikshit, Member of Parliament (Lok Sabha) — Member
6. Prof. Rasa Singh Rawat, Member of Parliament (Lok Sabha) — Member

Two Members from Rajya Sabha

7. Prof. Alka Balram Kshatriya, Member of Parliament (Rajya Sabha) — Member
8. Shri Nand Kishore Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha) — Member

(b) Two Members of Parliament Nominated by Parliamentary Committee on Official Language.

9. Shri Subrata Bose, Member of Parliament (Lok Sabha) — Member
10. Vacant — Member

(c) Representative of All India Hindi Institution

11. Prof. Anantram Tripathi, Pradhanmantri, Rashtrabhasha Prachar Samiti - Vardha, Post Hindi Nagar, Vardha, Maharashtra - 442003 — Member

(d) Members Nominated by the Ministry

12. Shri Himanshu Joshi, 7/C 2, Hindustan Times Apartments, Mayur Vihar — Phase-I, New Delhi - 110091 — Member
13. Shri Balswarup Rahi, F 3/10, Model Town, Delhi-110009 — Member
14. Shri Aniruddh Joshi, 212 BP, MDC Sector - IV, Panchkula - 134114, Haryana — Member
15. Shri R. Vijayan Thampi, Deseeya Hindi Acadamy, Perunguzhi P.O. Chirayinkeezh, Thiruvananthapuram, Kerala - 695305 — Member

(e) Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

16. Shri Suresh Tiwari, Assistant General Manager, Directorate of Operation, Steel Authority of India Limited, (Corporate Office, SAIL) 5th Floor, Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003. — Member

(f) Members Nominated by Ministry of Home Affairs

17. Dr. Padmasha Jha, Prof Q No. 31, University Campus, Muzaffarpur - 842001, Bihar — Member
18. Smt. Anwer Jahan Khanam, Village & P.O. — Kothia, Via —Pindaruch, P.S-Karmtaul, Block-Keoti, Distt.-Darbhanga, Bihar — Member
19. Prof. Chulhai Prasad Sah, Village-Karuna, Post-Bishaul, P.S. - Harlakhi, Distt. — Madhubani, Bihar - 847225 — Member

**Other Official Members**

20. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs — Member
21. Secretary, Department of Official Language and Hindi Advisor to the Government of India — Member
22. Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs — Member-Secretary
23. Joint Secretary/Director, Department of Official Language — Member
24. Director (R&C), Ministry of Parliamentary Affairs — Member
25. Deputy Secretary (Leg.), Ministry of Parliamentary Affairs — Member
26. Deputy Secretary (Adm.), Ministry of Parliamentary Affairs — Member

**(2) Functions**

The functions of the Samiti will be to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi in Official use in the Ministry of Parliamentary Affairs and Implementation of policy laid down by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language) from time to time.

**(3) Tenure of Office**

Tenure of Office of the Samiti will be for a period of three years from the date of its composition, provided that:

(a) Any Member who is Member of Parliament as soon as he ceases to be a Member of Parliament, will also cease to be a Member of this Samiti.

(b) Ex-Officio members of the Samiti will continue to be Members till they hold the post, by virtue of which they are Members of the Samiti.

(c) If any vacancy is caused on the Samiti due to resignation or death etc. of any Member, the Member appointed in his place, will be Member of the Samiti for residual term.

**(4) General**

Head Office of the Samiti will be in New Delhi.

**(5) T.A. and Other Allowances:-**

T.A. and D.A. will be paid to the non-official members of the Hindi Salahkar Samiti for attending the meetings of the Committee according to the scheduled rates and Rules as laid down in the Office Memorandum No. 11/20034/04/2005-O.L. (Policy-2) dated 3 February, 2006 and as amended by the Government of India from time to time.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Department of the Government of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok/ Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay and Accounts Office, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

P. GOPALAKRISHNAN,
Joint Secretary

---

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, 14th October, 2008

F.No. 1/19/2008-CT-II The Government of India has decided to constitute the Organic Cotton Advisory Board. The Board will consist of following members:—

**Representatives of the Central Government**

1. Textile Commissioner, Government of India, Ministry of Textiles, Mumbai-400020 — Chairman
2. Joint Secretary Government of India, Ministry of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi-110107 — Member
3. Director, Directorate of Cotton Development (Deptt. of Agriculture & Co-operation) Ministry of Agriculture, 14, Ramjibhai Kamani Marg, Ballard Estate, P.B. No. 1002, Mumbai-400038 — Member
4. Director, CICR-Nagpur, PB No. 2, Shankar Nagar, P.O. Nagpur-440010 — Member
5. Director, Central Institute for Research in Cotton, Technology (CIRCOT), Adenwala Road, Mathunga, Mumbai-400019 — Member

STATE GOVERNMENTS

6. Commissioner/Director to Govt. (In charge of Agriculture), Government of Maharashtra, Shivaji Nagar, Pune-411005 — Member
7. Commissioner/Director to Govt. (In charge of Agriculture), Government of Gujarat, Krishi Bhavan, Paldi, Ahmedabad-380006 — Member
8. Commissioner/Director to Govt. (In charge of Agriculture), Government of Madhya Pradesh, Vindhyachal Bhavan, Bhopal-462004 — Member
9. Commissioner/Director to Govt. (In charge of Agriculture), Government of Andhra Pradesh, Opp. Lal Bahadur Stadium, Hyderabad-500001 — Member
10. Commissioner/Director to Govt. (In charge of Agriculture), Government of Karnataka, No. 1, Sheshadari Road, Bangalore-560001 — Member
11. Commissioner/Deptt. of Agriculture, (In charge of Agriculture), Government of Tamil Nadu, Chepauk, Chennai-600005 — Member
12. Commissioner/Director to Govt. (In charge of Agriculture), Government of Orissa, Head of Dept. Building, Bhuvaneshwar-751001 — Member
13. Commissioner/Director to Govt, (In charge of Agriculture), Government of West Bengal, Writers' Building, Kolkata — Member
14. Commissioner/Director to Govt. (In charge of Agriculture), Government of Tripura. — Member
15. Commissioner/Director to Govt. (In charge of Agriculture), Government of Chhattisgarh. — Member

CERTIFYING AGENCIES

16. Shri S. Dave, Director, Member
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), NCUI Bldg. 3rd floor, August Kranti Marg, Hauz Khas, Siri Institutional Area, New Delhi-110016
Fax No. 011-26534870
Email—headq@apeda.com

17. National Organic Farming Institute(NOFI) Member
Faridabad, Haryana.

18. Mrs. Prabha Nagarajan, Member
Regional Director-India Farm Dev. Programme Organic Exchange, F.138, 7th Street Anna Nagar East, Chennai-600102
Tel: 044-26283585/Mob. 9840398844
Email-prabha@organicexchange.org
prabhangu@gmail.com

19. Dr. Binay Kumar Choudhary, Member
Control Union Certification
597, 1st floor, 50, Second Cross, 3rd Block, 10th Main Road, Rajaji Nagar, Bangalooru-560010
Ph. No. 09969002860

20. ECOCERT SA, France Member
India Branch Office, Sector-3,S-6/384, Gut No. 102 Hindustan Awas Ltd. Walmi-Waluj Road, Nakeshetrawadi, Aurangabad-431002
Maharashtra
Email: ecocert@sancharnet.in; India@

**Agriculture Universities/Research Institute**

21. Tamil Nadu Agriculture University Member
Coimbatore, Tamil Nadu.

22. Tamil Nadu Agriculture University Member
Kovil Parti, Tamil Nadu.

23. Dharwad Agriculture University Member
Dharwad
Karnataka.

24. Maharana Pratap Agriculture University, Udaipur, Member
Rajasthan.

25. Dr. T.V. Karivaradaraaju Member
The SIMA Cotton Development & Research Association, Shanmukha Manram, Post Box No. 3871, Race Course, Coimbatore-641018
Tel: 0422-2213079,
Cell: 9842206198
Fax: 0422-2216798.
Email: simacdra@bsnl.net

**Ginning & Pressing Sector**

26. Shri Rajesh Tanwar, Member
M/s Raj Ecofarm Ginning & Pressing, Village Bhilgaon
Kasrawad, Khargone (Dt.), Pin No. 451228
Madhya Pradesh
Ph. No: 0975333451
Fax No: 07285—232154
Email: rajeshbio@rediffmail.com.

**Textile Industries**

27. Chairman, Member
Confederation of Indian Textile Industry (CITI), 6th floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001.
Email:icmf@vsnl.com

28. Cotton Association of India Member
2nd floor, Cotton Exchange Bldg, Cotton Green, Mumbai-400033.

29. Shri Pankaj D. Mepani, Member
General Manager (Raw Material) of M/s. Gokak Textiles Ltd., B-74, Cotton Exchange Building, Cotton Green (East)
Mumbai

30. Shri B.K. Patodia, Member
Vice Chairman & Managing Director of M/s GTN Textiles Ltd., 228, Nariman Point, Mumbai—400021

31. Shri Bharatbhai Shah Member
M/s Amit Spinning Industries Ltd., Lotus House, 5th Floor, New Marine Lines
Next to Liberty Cinema, Mumbai — 400002
Tel: 022-66247777

32. Shri Jitender Kumar, Member
Assistant Vice President (Cotton Procurement), M/s Alok Industries Limited
Peninsula Tower, Peninsula Corporate Park, G.K. Marg, Lower Parel, Mumbai —400013
Tel: 022-24996413/200
Fax: 022-24940140

33. Shri G. Xavier, Head Member
Agricultural Division
Shri K.R. Seethapthy, Chief Operating Officer (A leading entity in contact farming)
M/s Super Spinning Mills Ltd., Elgi Tower, P.B. 7113, Green Fields, 737-D, Puliakulam Road, Coimbatore

34. Shri Mani Chinaswamy Member
C/o Appachi Cotton Company
Tamil Nadu
Mobile:09345244000

**Member Secretary**

35. Shri B.A. Patel, Member Secretary
Joint Textile Commissioner (Cotton)
Office of the Textile Commissioner
Mumbai— 400020

2. The Organic Cotton Board will assess the feasibility for data collection and framing of regulation for certification of organic cotton in India and to evolve the guidelines for the basis of certification, delineation/identification of production areas and verieties suitable for organic farming and recommend subsidy for production practices to be followed for cultivation of organic cotton under Mini-Mission II of the TMC/ICDP.

3. The Cotton Advisory Board will also co-ordinate and monitor development of organic cotton.

4. The Members of the newly constituted Board will serve on the Board upto 13.10.2010.

5. The Non-Official Members will be allowed TA/DA for attending the meetings of the Board in accordance with the instructions of the Ministry of Finance.

6. The attendance in the meetings of the Board is restricted to the Members only.

7. Orderd that the copy of this Notification be communicated to all concerned. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

DR. J.N. SINGH,
Joint Secretary

---

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES
(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)
New Delhi, the 14th October 2008

**RESOLUTION**

No. E-11014/5/2004-Hindi In supersession of the Department of Heavy Industry's Resolution of even number dated 11.4.2005, Govt. of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. The composition, functions and Tenure etc. of the reconstituted committee will be as under–

**Composition**

**1. Chairman/Vice-Chairman**

1 Minister of HI&PE Chairman
2 Minister of State (HI&PE) Vice-Chairman

**2. Non-Official Member**

**A. Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs**

1 Dr. Radha Kant Nayak (Rajya Sabha) Member of Parliament Member
2 Sh. Mahendra Mohan, (Rajya Sabha) Member of Parliament Member
3 Sh. Hari Singh Chawda, (Lok Sabha) Member of Parliament Member
4 Smt. Kalpana Ramesh Narhire. (Lok Sabha) Member of Parliament Member

**B. Nominated by Parliamentary Committee on Official Language**

5 Dr. Ram Krishan Kusumaria. (Lok Sabha) Member of Parliament Member
6 Sh. Mohan Singh, (Lok Sabha) Member of Parliament Member

**C. Representative of Voluntary Hindi Organization of all India Level**

7 Sh. Kailash Chandra Pant, Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Bhopal Member
8 Sh. Surendra Kumar Tuteja, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad Member

**D. Eminent Scholars of Hindi (Nominated by Ministry)**

9 Dr. Ravindra Rajhans Member
10 Prof. Dr. Kumkum Rai Member
11 Prof. Ramdeo Bhandari Member
12 Shri Awadh Bihari Singh Member
13 Ch. Yashpal Singh Member

**E. Nominated by Department of Official Language**

14 Dr. Rajni Bala Agarwal Member
15 Sh. Satish Chandra Mishra Member
16 Sh. Krishna Mohan Singh Member

**3 Official Members**

**A. Department of Heavy Industry**

17 Secretary Member
18 Additional Secretary & Financial Adviser Member
19 Additional Secretary Member
20 Joint Secretary Member
21 Joint Secretary Member

**B. Department of Public Enterprises**

22 Secretary Member
23 Joint Secretary Member

**C. Department of Official Language**

24 Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India Member
25 Joint Secretary Department of Official Language Member

**D. Public Undertakings of the Department of Heavy Industry**

26 Chairman cum Managing Director, BHEL, New Delhi Member
27 Chairman cum Managing Diretor, H.M.T., Bangalore Member
28 Chairman cum Managing Director, E.P.I. New Delhi Member
29 Chairman cum Managing Director, HPC, Kolkata Member
30 Chairman cum Managing Director, BBUNL, Kolkata Member
31 Chairman cum Managing Director, Heavy Engineering Corp, Ranchi Member

32 Chairman cum Managing Director, Rajasthan Electronics & Instruments Ltd., Jaipur. Member

4. Functions

The functions of the Samiti will be to render advice to Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises with regard to the progressive use of Hindi in Official work and implementation of the provisions of the Official Language Policy laid down and instructions issued by the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language.

5. Tenure of the Samiti

Normally the tenure of the Samiti will be of three years. If a person is nominated as a member in the middle of the term, he/she will hold the office for the residual term of the Samiti. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Department of Heavy Industry.

6. T.A. and Other Allowance

The non-official members will be paid T.A./D.A. for attending meetings of the Samiti in accordance with the guidelines contained in the office memorandum No.11/20034/86-OL-(A-2) dated 22.1.1987 and as per the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, U.T. Administrations, P.M. Secretariat, Cabinet Secretarial, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Director, Audit and All the Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAJIV BANSAL
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 1st October 2008

No. F9-27-2000-U.3.—Whereas "Jaypee Institute of Information Technology (JIIT)", Noida (Uttar Pradesh), was declared as a 'deemed-to-be-university', under *De Novo* category' under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 1st November, 2004 subject to certain conditions that included a review after three years;

2. And whereas, the UGC has reviewed the functioning of the "JIIT", NOIDA through an Expert Committee constituted for this purpose:

3. And, whereas, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC vide its communication No.F. 6-8/2004 (CPP-I) dated the 25th February, 2008 have recommended continuation of the status of 'Deemed-to-be-University' to "JIIT", NOIDA, subject to a further review after five years;

4. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, do hereby accord approval to the continuance of "Jaypee Institute of Information Technology (JIIT), NOIDA, as a "deemed-to-be-university" for the purpose of the aforesaid Act, under *de novo* category, for a further period of five years, strictly in terms of this Ministry's notification of even number dated the 1st November, 2004, subject to the following conditions that :

(i) the progress and performance of the JIIT shall be reviewed by the UGC with the help of an Expert Committee after a period of five years and that the status of deemed-to-be-university' conferred on the JIIT, NOIDA, shall be confirmed on the basis of the report of the said Expert Review Committee and recommendation of the UGC thereon;

(ii) the JIIT should immediately revise the Memorandum of Association (MoA)/Rules in line and in accordance with the model MoA/Rules prescribed by the UGC and get the approved MoA/Rules duly registered:

(iii) the JIIT Society should, as per the advice of the UGC, submit an undertaking, on stamp paper, from the Jaiprakash Sewa Sansthan (JSS) Trust, New Delhi that the land subleased by the NOIDA will be allowed to be in possession of JIIT, NOIDA, permanently; and,

(iv) the JIIT should adhere to the norms and guidelines prescribed by the UGC and the All India Council for Technical Education (AICTE), from time to time, as are applicable to the institutions declared as deemed-to-be-universities under Section 3 of the UGC Act, 1956.

5. The declaration made in para 4 above shall be subject to further conditions that are mentioned at Sl. No. 4 of the endorsement of this notification.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

The 15th October, 2008

No. F. 9-55/2004-U. 3(A).—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, an application was received in August, 2004 from Vel Shree R.Rangarajan Dr. Sagunthala Rangarajan Education Academy, Chennai, Tamil Nadu seeking status of 'deemed-to-be-university' under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the recommendations of the University Commission (UGC) received in the matter on 16.10.2007 were examined in this Ministry and the proposal for conferment of status of deemed-to-be-university' to Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Channai, Tamil Nadu was rejected vide this Ministry's notification of even number dated 23.11.2007.

4. And whereas, upon submission of fresh documents by the Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu to remove the deficiencies as pointed out in the notifications referred to para 3 above, the matter has been reconsidered in the Ministry, and on the basis of the recommendations of the UGC and exercise of the powers conferred by section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government do hereby declare Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu, as an institution 'deemed to be a university' for the purposes of the aforesaid Act, with effect from the date from which the Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu is disaffiliated from its affiliating university, viz, Anna University, Chennai, Tamil Nadu.

5. The declaration as made in para 4 above is subject to fulfillment/compliance of further conditions mentioned at Sr. No. 4 of the endorsement to this Notification;

6. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to the Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

---

The 16th October, 2008

No. F.9-9/1998-U.3.—Whereas **"SRM Institute of Science and Technology, Chennai"** comprising of SRM Dental College, Chennai was declared as a 'deemed-to-be-university', under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 2nd August, 2004. Later on, following constituent units were also included in the ambit of aforesaid deemed university:—

1. SRM Engineering College, Kattankulathar

2. SRM Medical College Hospital and Research Centre, Kattankulathar.

3. SRM College of Pharmacy, SRM Nagar Kattankulathar.

4. SRM College of Nursing, Chennai.

5. SRM College of Physiotherapy Ramapuram Chennai.

6. SRM College of Occupational Therapy, Chennai

7. SRM institute of Management and Technology, Modinagar, UP

2. And whereas, the UGC has reviewed the functioning of the **"SRM Institute of Science and Technology, Chennai"** comprising of above mentioned constituent units through an *Expert Committee constituted for this purpose;*

3. And, whereas, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC vide its communication No.F.6-21/2001 (CPP-I) dated the 24th January, 2007 has recommended continuation of the status of 'Deemed-to-be-University' to **"SRM Institute of Science and Technology, Chennai"**, subject to a further review after five years;

4. Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, do hereby accord approval to the continuance of **"SRM Institute of Science and Technology, Chennai** as a Deemed-to-be-University for the purpose of the aforesaid Act, for a further period of five years, subject to the following conditions that :—

(i) the progress and performance of the SRM Institute of Science and Technology, Chennai shall be reviewed by the UGC with the help of an Expert Committee after a period of five years and that the status of 'Deemed-to-be-University' conferred on the SRM Institute of Science and Technology, Chennai, shall be confirmed on the basis of the report of the said Expert Review Committee and recommendation of the UGC thereon;

(ii) the SRM Institute of Science and Technology, Chennai should adhere to the norms and guidelines prescribed by the UGC and the All India Council for Technical Education (AICTE), from time to time, as are applicable to the institutions declared as deemed-to-be-universities under Section 3 of the UGC Act, 1956.

5. The declaration made in para 4 above shall be subject to further conditions that are mentioned at Sl. No. 4 of the endorsement of this notification.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

---

The 21st October, 2008

No. F.9-3/2007-U.3(A).— Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as a deemed-to-be-university.

2. And whereas, an application was received in January, 2004 and April, 2004 from Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana seeking status of 'deemed-to-be-university' under de- novo category under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication bearing No. 22-2/2007 (CPP-I) dated the 18th July, 2008 has recommended conferment of status of 'Deemed-to-be-University' to Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana with a condition that performance will be reviewed after a period of five years of conferment of status.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on *the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby* declare that Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana, comprising of Career Institute of Technology and Management only, shall be a "Deemed-to-be-University" for the purposes of the aforesaid Act, for a period of five years, with effect from the date of its disaffiliation from its affiliating universities, viz., Maharshi Dayanand

University, Rohtak, Haryana subject to annual review by the Review Committee for five years.

5. The status conferred on Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana shall be confirmed after a period of three years on the basis of the aforesaid reviews by an Expert Committee of the UGC and recommendations of the Commission thereof.

6. The declaration as made in para 4 above is subject to fulfillment/compliance of further conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification.

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to the Manav Rachna International University, Faridabad, Haryana.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

The 23rd October, 2008

No. F. 9-3/2006-U.3(A).—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an "Institution Deemed-to-be-University".

2. And whereas, a proposal was received from Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, Tamil Nadu, an autonomous organization of the Ministry of Youth Affairs & Sports, seeking recognition as an "Institution Deemed-to-be-University" under Section 3 of the UGC Act, 1956;

3. And whereas, the University Grants Commission (UGC) has examined the said proposal and vide its communication bearing No.40-6/2006(CPP-I) dated the 29th September, 2008 has recommended declaring Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur as an Institution Deemed to be University;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare that Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD), Sriperumbudur, Tamil Nadu, shall be an "Institution Deemed-to-be-university", under the '*De Novo*' category, for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years subject to its review at the end of each year by the UGC with the help of an Expert Committee.

5. The status conferred on the RGNIYD shall be confirmed after a period of five years on the basis of the annual reviews to be conducted through an Expert Committee of the UGC and recommendations of the Commission thereon;

6. The RGNIYD shall not conduct its proposed academic courses through the Distance mode without prior permission from the Competent authorities. The declaration as made in para 4 above is subject to fulfillment/compliance of the conditions mentioned at Sr. No.5 of the endorsement to this Notification;

7. The RGNIYD shall continue to receive financial support from the Ministry of Youth Affairs and Sports.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

## MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th October, 2008

**RESOLUTION**

No. 10/3/96-RMK (NWB).—In pursuance of the provision of Rule 9(1) of Rules and Regulations of Rashtriya Mahila Kosh, the Government of India nominates the following persons as members of the Governing Board of Rashtriya Mahila Kosh with immediate effect from the date of notification for a period of two years or until further orders, whichever is earlier:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Pankaj Aggarwal,<br>B-3/55,<br>Safdarjung Enclave,<br>New Delhi - 110029 | vice | Dr. Nagi B. Rao,<br>109,R.R. Towers,<br>C.A. Lane,<br>Nampally,<br>Hyderabad-500001<br>Andhra Pradesh |
| 2. | Dr. Davinder Singh Kumar,<br>J-79, Kalkaji,<br>New Delhi - 110019 | vice | Shri Rajan Singh<br>Raviraj Marod,<br>B-3-11, Pleasant Park,<br>Pune, Maharashtra |

(Mrs.) KIRAN CHADDHA
Joint Secretary.